फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री पन्नालाल | विपक्षी :– श्री ईन्द्रलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. | पत्रावली संख्या : 29/23

जीसीएमस : 2023/102

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में विपक्षीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करना बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। अतः मूल वाद स्वीकार हो जाने से मूल वाद में बंटवाडा होने तक उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु की आराजी न. 2015, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2937/2015, 526 किता 13 रकबा 2.0962 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.23 11:37:48 IST
Reason: SelfAttested